DR. B.R. AMBEDKAR AND CONSTITUTION OF INDIA

The life of Dr. Bhimrao Ambedkar, born on 14th April, 1891 in a Mahar family, was marked by struggles but he proved that every hurdle in life can be surmounted with talent and firm determination. The biggest barrier in his life was the caste system adopted by the Hindu society according to which the family he was born in was considered 'untouchable'. After graduating from Elphinstone College Bombay in 1912, he did his higher studies at Columbia University, USA where he was awarded Ph.D. Later, he joined the London School of Economics and Political Science and obtained the degree of D.Sc. (Eco) and was eventually called to the Bar from Gray's Inn.

In 1927, Dr. Ambedkar led the Mahad March at the Chowdar Tank at Colaba, near Bombay, to give the untouchables the right to draw water from a public tank. This marked the beginning of his crusade against the practice of discrimination in the society. The temple entry movement launched by Dr. Ambedkar in 1930 at Kalaram temple, Nasik is another landmark in his struggle for human rights and social justice.

On 24th September 1932, Dr. Ambedkar and Gandhiji reached an understanding, which came to be known as the Poona Pact. The Pact carved out a clear and definite position for the downtrodden on the political scene of the country. It opened up opportunities of education and government service for them and also gave them a right to vote.

Dr. Ambedkar attended all the three Round Table Conferences in London and each time, forcefully projected his views in the interest of the 'untouchables'.

Dr. Ambedkar, organized the Independent Labour Party, participated in the provincial elections, and was elected to the Bombay Legislative Assembly.

In 1947, when India became Independent, the first Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru, invited Dr. Ambedkar, who had been elected as a Member of Constituent Assembly from Bengal, to join his Cabinet as a Law Minister. However, Dr. Ambedkar had differences of opinion with the Government over the Hindu Code Bill, which led to his resignation as Law Minister.

On August 29th 1947 Dr. Ambedkar was appointed the Chairman of the Drafting Committee that was constituted by Constituent Assemble to draft a Constitution for Independent India. Dr. Ambedkar played a seminal role in the framing of the Indian Constitution. He used his vast experience and knowledge in drafting the Constitution. In his capacity as the Chairman of the Drafting Committee, he hammered out a comprehensive workable Constitution. He gave free India its legal framework, and the people, the basis of their freedom.

Ambedkar was a champion of fundamental rights, and Part III of the Indian Constitution guarantees the fundamental rights to the citizens. Some of the fundamental rights contained in Articles 15(2), 17, 23 and 24 are also enforceable against individuals as they are very significant rights relating to the prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth etc. The text prepared by Ambedkar provided constitutional guarantees and protections for a wide range of civil liberties for individual citizens, including freedom of religion, the abolition of untouchability and outlawing all forms of discrimination. Dr. Ambedkar argued for extensive economic and social rights for women. Dr. Ambedkar's social democracy comprised politicians, political parties with high standards of political morality, honesty and integrity and strong and highly responsible Opposition party or parties committed to the cause of the downtrodden and depressed classes. The Preamble of the Indian Constitution echoes the principles of parliamentary democracy.

In 1948, Dr. Ambedkar completed the draft of the Constitution and presented in the Constituent Assembly. In November 1949, this draft was adopted with very few amendments and came into force on January 26, 1950 marking the beginning of a new era in the history of India. Speaking after the completion of his work, Ambedkar said: "I feel the Constitution is workable; it is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war time".

On October 14, 1956 Baba Saheb Ambedkar embraced Buddhism along with many of his followers. The same year he completed his last writing 'Buddha and His Dharma'. On 6th December, 1956, Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar attained 'Mahaparinirvan'.

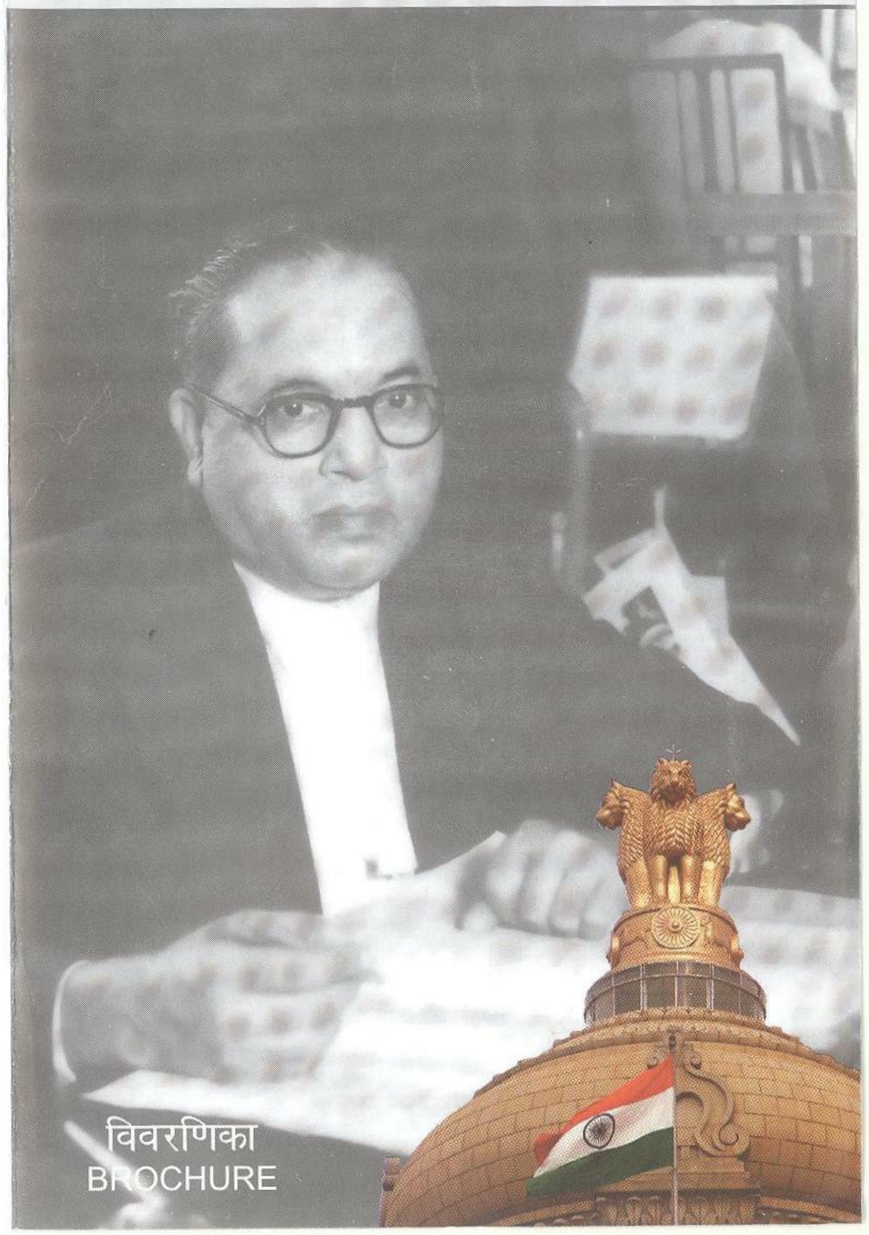
In 1990, Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of our Constitution, was bestowed with Bharat Ratna. The Country is celebrating the 125th Birth year of Dr. B.R. Ambedkar and the Department of Posts is happy to issue a commemorative postage stamp on this occasion.

Credits:-

Text	:	Based on the material provided by the proponent.
Stamp/FDC	:	Brahm Prakash
Cancellation	:	Alka Sharma

भारतीय डाक विभाग
Department of Posts
India

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और भारत का संविधान
Dr. B.R. Ambedkar and Constitution of India



डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और भारत का संविधान

डॉ. भीम राव अम्बेडकर का जन्म एक महार परिवार में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। परन्तु, उन्होंने सिद्ध किया कि योग्यता और दृढ़ निश्चय के बल पर जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। अम्बेडकर के जीवन की सबसे बड़ी बाधा थी, हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा, जिसके अनुसार जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, उसे अछूत माना जाता था। 1912 में बंबई के एल्फिन्स्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में ग्रहण की, जहां उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने डी.एससी (अर्थशास्त्र) की उपाधि प्राप्त की। आगे चलकर वे ग्रेज़ इन्न के माध्यम से अधिवक्ता वर्ग में शामिल हो गए।

1927 में डॉ. अम्बेडकर ने बंबई के निकट कोलाबा में चौदार टैंक पर महार मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च का उद्देश्य, तथाकथित 'अछूत' वर्ग के लोगों को सार्वजनिक टैंक से पानी निकालने का अधिकार दिलाना था। इस मार्च ने समाज में व्याप्त भेदभाव की कुप्रथा के विरूद्ध उनके अभियान का शंखनाद किया। डॉ. अम्बेडकर द्वारा 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में शुरू किया गया मंदिर प्रवेश आंदोलन भी मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष की दास्तान में मील के पत्थर का महत्व रखता है।

24 सितंबर, 1932 को डॉ. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे आगे चलकर पूना करार कहा गया। इस करार के अंतर्गत, देश के राजनीतिक परिदृश्य में समाज के दलित वर्गों के स्थान को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, दलित वंचित वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने तथा सरकारी सेवा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होने के साथ–साथ उन्हें वोट डालने का भी अधिकार प्राप्त हुआ।

डॉ. अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोल मेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया तथा हर बार तथाकथित 'अछूत' वर्गों के हितों को लेकर अपने विचारों को पूरी प्रबलता से व्यक्त किया।

डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक दल (इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी) को संगठित किया और प्रांतीय चुनावों में हिस्सा लिया और वे बंबई विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए।

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉ. अम्बेडकर को, जो संविधान सभा के लिए बंगाल से चुने गए थे, अपने मंत्रिमंडल में विधि मंत्री के रूप में शामिल किया। हालांकि, हिन्दू संहिता विधेयक को लेकर डॉ. अम्बेडकर का सरकार से मतांतर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने विधि मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया।

29 अगस्त, 1947 को डॉ. अम्बेडकर को संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण हेतु बनाई गई समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। संविधान का प्रारूप तैयार करने की इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने विशद् अनुभव एवं ज्ञान का प्रयोग किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समग्र व प्रभावी संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार, उन्होंने स्वतंत्र भारत को इसकी विधिक संरचना प्रदान की और यहां के लोगों को उनकी आजादी का आधार।

डॉ. अम्बेडकर मौलिक अधिकारों के प्रबल पक्षधर थे और भारतीय संविधान के भाग ।।। के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 (2), 17, 23 और 24 में निहित कुछेक मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के विरूद्ध भी लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनका संबंध धर्म, समुदाय, जाति, महिला–पुरूष या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध से है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए मूल पाठ के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विविध प्रकार की संवैधानिक स्वतंत्रता व सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, छूआछूत के उन्मूलन और हर प्रकार के भेदभाव को गैरकानूनी करार देने की व्यवस्था शामिल है। डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं को व्यापक आर्थिक व सामाजिक अधिकार प्रदान करने की हिमायत की। सामाजिक लोकतंत्र की डॉ. अम्बेडकर की अवधारणा के अंतर्गत, उच्च राजनीतिक नैतिकता, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा वाले राजनीतिज्ञों तथा राजनैतिक दलों के साथ–साथ सशक्त व अत्यंत जिम्मेदारी की भावना वाले विपक्षी दल अथवा दलों की परिकल्पना की गई थी, जो समाज के दलित–वंचित व पिछड़े वर्गों के सरोकारों के प्रति समर्पित हों। भारतीय संविधान के प्राक्कथन में संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत प्रतिध्वनित होते हैं।

1948 में डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया। कुछेक मामूली संशोधनों के बाद नवम्बर, 1949 में इसे स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हो गया और इस प्रकार, भारत के इतिहास में नए युग की शुरूआत हुई। अपना यह कार्य समाप्त करने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''मेरे विचार से यह संविधान कारगर है; यह परिवर्तन ग्राही है और शांति तथा युद्धकाल में देश को एकजुट रखने की शक्ति रखता है।''

14 अक्तूबर, 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी वर्ष उन्होंने अपनी अंतिम कृति ''बुद्ध और उनका धर्म'' का लेखन कार्य संपन्न किया। 6 दिसम्बर, 1956 को बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को 'महापरिनिर्वाण' प्राप्त हुआ।

हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। देश डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का 125वां जयंती वर्ष मना रहा है और डाक विभाग इस उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक–टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :–

मूलपाठ	:	प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित
डाक–टिकट / प्रथम दिवस आवरण विरूपण	:	ब्रह्म प्रकाश
	:	अलका शर्मा

भारतीय डाक
India Post

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग Denomination	: :	500 पैसा 500 p
मुद्रित डाक–टिकटें Stamps Printed	: :	5 लाख 0.5 Million
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	: :	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक Printer	: :	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Security Printing Press, Hyderabad

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक–टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00